

बैंक ने घटाई ब्याज दर अब 12.10 प्रतिशत की बजाय 7.10 प्रतिशत पर किसानो को

मिलेगा ऋण

झुंझुनू, 30 जनवरी। राज्य सरकार ने किसानो के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की है, इसके तहत समय पर ऋण चुकारा करने वाले काश्तकारों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल सकेगा, यह योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी, इसके अन्तर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि ऋण दिया जा रहा है।

इनको मिलेगा योजना का लाभ - झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की सचिव विभा खेतान ने बताया कि 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में कृषि ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। जिन किसानो को कृषि ऋण लेना है वे जिले की सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखाओं झुंझुनू, चिडावा, नवलगढ, गुढागौडजी एवं खेतडी में सम्पर्क कर कृषि ऋण स्वीकृत करा सकते है।

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान - बैंक सचिव विभा खेतान ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य नवकूप, नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी, हौज निर्माण, कृषि यंत्रिकरण के कार्य जैसे ट्रैक्टर, कृषि यंत्रदि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर क्रय करने के लिए ऋण ले सकते है। खेतान ने बताया कि डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज, प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाऊस, कृषि कार्य के लिए सौलर प्लांट, कृषि भूमि कर तारबन्दी, बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड, बकरी, सुअर, मुर्गीपालन, उद्यानीकरण, ऊंट, बैल गाडी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।
